राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,मुख्यालय,जयपुर।

क्रमांक एफ–4/मु0/याता./लेखा(9)/2017/746 दिनांक : 15.5.2017

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय आदेश संख्या एफ 4/मु/याता/लेखा(9)/2016/291 दिनांक 30.6.2016 से निगम द्वारा आकस्मिक अनुबन्ध/संविदा पर उपलब्ध कराई जाने वाली साधारण एवं द्रुतगामी वाहनों की दरें का निर्धारण किया गया है। अधिकाधिक अनुबन्ध/संविदा पर वाहने उपलब्ध कराने को दृष्टिगत रखते हुये साधारण/द्रुतगामी बसों की किराया दरों में एतद् द्वारा निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

क्रसं.	विवरण	निर्धारित अधिकतम कि.मी.	न्यूनतम वसूली योग्य राशि (रूपयों में)
			साधारण एवं द्रुतगामी
1	12 घण्टे तक	200	8,000/-
2.	12 घण्टे से अधिक किन्तु 15 घण्टे तक	250	10,000/–
3.	15 घण्टे से अधिक किन्तु 18 घण्टे तक	300	12,000/–
4.	18 घण्टे से अधिक किन्तु 21 घण्टे तक	350	14,000/–
5.	21 घण्टे से अधिक किन्तु 24 घण्टे तक	400	16,000/–
6.	उक्त के पश्चात अर्थात 24 घण्टे के बाद प्रत्येक 3 घण्टे के लिये	50	2,000/–
7.		निर्धारित कि.मी. से अधिक संचालन पर दर प्रति कि.मी.	40

अन्य शर्ते एवं दिशा निर्देश :–

1. उक्त दरें राज्य एवं अन्तर्राज्यीय मार्गो में समान रूप से प्रभावी होगी। अन्य राज्य एवं पंचम अध्याय मार्ग पर अनुबन्ध हेतु अस्थाई अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के लिये व्यय होने वाली राशि यथा मार्ग कर, विशेष पथकर, यात्री कर, परमिट फीस, टोल टैक्स व समस्त प्रकार के अन्य कर अनुबन्ध कर्ता/पार्टी को वहन करने होगे।
2. पहाडी मार्गो एवं पर्वतीय क्षेत्रों में उपरोक्त दरों की डेढ गुणी राशि वसूली योग्य होगी।
3. समय सीमा एवं संचालित कि.मी. की गणना कार्यशाला से प्रस्थान कर, वापस कार्यशाला पहुँचने तक के समय व कि.मी. को आधार मानकर की जावेगी।
4. वाहन की निर्धारित बैठक क्षमता से अधिक यात्री होने पर अधिक यात्रियों का संचालित कि.मी. के अनुसार संबधित श्रेणी के लिये निर्धारित किराया दर से किराया पृथक से वसूली योग्य होगा।
5. यात्री दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजना, 2000 के अन्तर्गत निर्धारित दुर्घटना क्षतिपूर्ति अधिभार राशि, एवम मानव संसाधन अधिभार राशि पृथक से यात्रियों की संख्या एवं वाहन की बैठक क्षमता जो भी अधिक हो के अनुसार वसूली योग्य होगी तथा टोल टैक्स का भुगतान/पुनर्भरण अनुबन्ध कर्ता/पार्टी द्वारा किया जावेगा।

नोटः– सेवाकर (SERVICE–TAX) की राशि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ–4/मु/याता/लेखा/ 2011/1743 दिनांक 20.10.2011 के अनुसार प्रचलित दरानुसार अनुबन्ध कर्ता/पार्टी सें पृथक से वसूली योग्य होगी ।

6. छात्रों के लिये वाहन अनुबन्ध पर चाहने एवं निगम कार्मियों की स्वंय/पुत्री/पुत्र के विवाह तथा कर्मचारी पर आश्रित व्यक्ति की मृत्यु पर उसके मृत शरीर को उसके मूल निवास स्थान तक ले जाने हेतु वाहन अनुबन्ध पर उल्लेखित दरों में 20 प्रतिशत रियायत देय होगी। इसकें लिये आगार प्रभारी सक्षम होगे।
7. न्यूनतम वसूली योग्य राशि में कोई रियायत/छूट देय नही होगी।

Scanned with Car

8. अनुबन्ध/संविदा हित जमा करने योग्य अग्रिम राशि का निर्धारण :–

अ. अनुबन्ध अवधि के लिए न्यूनतम राशि

ब. अनुबन्ध अवधि के लिए संचालन योग्य कि.मी. X दर प्रति कि.मी. के अनुसार राशि ।

स. उक्त दोनों में से जो भी अधिक हो उसमें 24 घण्टे के अनुबन्ध की स्थिति में 12 घण्टे की न्यूनतम राशि तथा 24 घन्टे से अधिक अवधि के अनुबन्ध की स्थिति में 18 घण्टे की न्यूनतम राशि जोडी जावेगी।

द. बिन्दू संख्या (स) से प्राप्त राशि में परमिट फीस, अन्तर राज्यीय कर आदि की राशि पृथक से जोडी जावेगी ।

9. अनुबन्ध/संविदा रदद करने के लिये कटौती योग्य विभागीय प्रभार :–

सविदा के लिये निर्धारित समय से पूर्व संविदा रद्द हेतु आवेदन की स्थिति	विभागीय प्रभार
48 घण्टे पूर्व	10 प्रतिशत
24 घण्टे पूर्व तक	20 प्रतिशत
24 घण्टे के अन्दर	12 घण्टे और 200 कि.मी. के लिये बनने वाली राशि।

नोटः– 1. 10.प्रतिशत व 20 प्रतिशत विभागीय प्रभार की गणना बिन्दु सं. 8 के अनुसार निर्धारित राशि मे से की जावेगी।

2. सविदा निष्पादन के प्रयोजनार्थ निगम द्वारा अस्थाई अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु व्यय की गई राशि भी पृथक से वसूली योग्य होगी।

10. 15 अगस्त/26 जनवरी, राष्ट्रीय पर्वो पर शिक्षण संस्थाओं के छात्र–छात्राओं के लिये सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार,जयपुर को उपलब्ध कराई जाने वाली बसों की दर 24 घण्टे के लिये निर्धारित दर की ½ अथवा 12 घण्टे के लिये निर्धारित दर, इन दोनो में जो भी अधिक होगी, वह वसूली योग्य होगी।

11. संविदा निष्पादन के लिये आवेदन पत्र/संविदा प्रारूप आदेश संख्या 823 दिनांक 15.11.2002 के अनुरूप प्राप्त किया जावे।

उक्त संशोधित दरें तुरन्त प्रभाव से लागू होगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

M(F)

17-5-17

(ज्योति चौहान)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)

क्रमांकः–एफ4/मुख्या/याता/लेखा(9)/2016/746

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:– दिनांकः 15.5.2017

930
17/5/17

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान परिवहन निगम, मु. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान परिवहन निगम, मु. जयपुर।
3. उप शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष ( ), राजस्थान परिवहन निगम, मु. जयपुर ।
5. उप महा प्रबन्धक.(आई.टी.) राज.परि.निगम, मु.जयपुर को उक्त दरों को निगम की बैवसाईट पर उपलब्ध करावे ।
6 उप महा प्रबन्धक.( )निगम सचिव/कार्यकारी प्रबन्धक( ) राज.परि.निगम मु.जयपुर।
7. लेखाधिकारी (बजट) राज0परि0 निगम, मुख्यालय, जयपुर।
8. कार्यकारी प्रबन्धक (जनसम्पर्क) राजस्थान परिवहन निगम, मु0 जयपुर
9. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त/यातायात) राजस्थान परिवहन निगम, ... आगार
10. आदेश/रक्षित पत्रावली ।

Scanned with Car